

प्रपत्र सं. 27घ			
(नियम 37घ देखें)			
स्रोत पर कर संग्रहण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग के अंतर्गत प्रमाणपत्र			
प्रमाणपत्र सं.		अंतिम बार अपलोडिड	
संग्रहणकर्ता का नाम और पता		संग्रह करने वाले का नाम और पता	
संग्राहक का ¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	संग्राहक का टैन	संग्रह करने वाले का ¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	संग्रह करने वाले द्वारा उपलब्ध कराई गई संग्रह करने वाले की संदर्भ सं. (यदि हो)
आयकर आयुक्त (टीडीएस)		निर्धारण वर्ष	अवधि
पता			से
.....			
शहर पिन कोड			
प्राप्ति का सारांश			
क्र.सं.	प्राप्त/काटी गई राशि	प्राप्ति का प्रकार	प्राप्ति/कटौती की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)
कुल (रु.)			
संग्रह करने वाले के संबंध में स्रोत पर एकत्रित कर का सारांश			
तिमाही	धारा 206ग की उप-धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत टीसीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति सं.	संग्रहण करने वाले के संबंध में संग्रह किए गए कर की राशि (रु.)	संग्रह करने वालों के संबंध में जमा/प्रेषण की राशि (रु.)
I. बही समायोजन के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में जमा और संग्रह कर का ब्यौरा (संग्रह करने वाले के संबंध में जमा और संग्रह किए गए कर के ब्यौरे वार भुगतान को मुहैया कराने के लिए संग्रहण)			
क्र.सं.	संग्रह करने वाले के संबंध में जमा कर (रु.)	बही पहचान सं. (बिन)	
		प्रपत्र सं. 24छ की प्राप्ति सं.	प्रपत्र सं. 24छ में डीडीओ क्रमांक सं.
		स्थानांतरण वाऊचर की तिथि (तिथि/माह/दिनांक)	प्रपत्र सं. 24छ के साथ मैचिंग की स्थिति
कुल (रु.)			

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

II. चालान के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में जमा और एकत्रित कर का ब्यौरा (संग्रह करने वाले के संबंध में जमा और एकत्रित कर के ब्यौरे वार भुगतान को मुहैया कराने के लिए संग्राहक)					
क्र.सं.	संग्रह करने वाले के संबंध में जमा कर (रु.)	चालान पहचान सं. (सिन)			
		बैंक की शाखा की बीएसआर कोड	तिथि जिस पर कर जमा किया गया (दिनांक/माह/वर्ष)	चालान क्रमांक सं.	ओएलटीएस के साथ मैचिंग स्थिति
कुल (रु.)					
सत्यापन					
मैं, , पुत्र/ पुत्री के तौर पर कार्यरत (पद), एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि कुल रु. [रु. (शब्दों में)] केंद्र सरकार को जमा और संग्रह किया गया है। मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना सही, पूरी और सत्य है और बही खातों, दस्तावेजों, टीसीएस ब्यौरे, टीसीएस जमा और अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।					
स्थान	 (कर का संग्रह करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)			
तिथि					
पद:		पूरा नाम :			

टिप्पणी :

1. मद I में सूचना को भरने के लिए सरकारी संग्रहणकर्ता यदि कर आयकर चालान की प्रस्तुति के बिना दी जाती है और मद II में यदि कर आयकर चालान के साथ दिया जाता है।
2. मद II में सूचना को भरने के लिए गैर-सरकारी संग्रहकर्ता।
3. संग्रहकर्ता निर्धारिती के टीसीएस विवरण के तौर पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त (टीडीएस) के पते को प्रस्तुत करेगा।
4. मद I और II, में संग्रह करने वाले के संबंध में जमा कर के लिए कॉलम में, टीसीएस, अधिभार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर (यदि लागू हो) की राशि को प्रस्तुत करेगा।